बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

संचिका सं0:– ICDS/40025/24-2017/2914 दिनांक :– 12/06/2020

प्रेषक,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

विषयः– **COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु माह जून में पूरक पोषाहार की राशि लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से अंतरण करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **आई.सी.डी.एस. निदेशालय का पत्रांक– 2882 दिनांक 11.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को जून माह के पोषाहार की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT करने हेतु निदेश दिया गया था। इसमें आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब पोषाहार की राशि को निदेशालय स्तर से **NIC** के माध्यम से DBT किया जाएगा इस संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं :–

1. सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवंटित पोषाहार राशि को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के Axis Bank के Child Account में अंतरित कर देंगी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अविलम्ब निदेशालय के Parent Account में अंतरित कर देंगे।

2. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शत्–प्रतिशत लाभार्थियों के बैंक खाता/आधार संबंधी विवरणी आँगन लाभार्थी ऐप पर अपलोड करवाऐंगे। तत्पश्चात् सेविका/महिला पर्यवेक्षिका द्वारा शत्–प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

   जिन केन्द्रों का विवरण ऐप पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है उन केन्द्रों के लाभार्थियों की विवरणी अलग से Excel format में **app.icdsbih.gov.in** के **AWC - Entry Form –** आँगनबाड़ी लाभुकों का DBT बैंक एकाउन्ट मिनू में अपलोड की जाएगी।

   दिनांक 20.06.2020 तक उपरोक्त सभी कार्य पूर्ण कर लिया जाना है।

लाभार्थियों को पोषाहार के बदले राशि नहीं मिलने की स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में संबंधितों के विरूद्ध जिम्मेवारी निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
12/6/20
निदेशक
आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांक :– ICDS/40025/24-2017/2914 दिनांक :– 12/06/2020
प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/20
निदेशक